

प्रेषक,

प्रभु एन. सिंह,

सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: २३ जनवरी, 2023

विषय:- कोविड-19 के रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत कार्मिकों की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रू० 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-249/एक-11-2020-04(जी)/2015 टी.सी. दिनांक 11.04.2020, शासनादेश संख्या-411/एक-11-2021-4(जी)/2015 टी०सी० दिनांक 22 जून, 2021 एवं राजस्व अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-1394/एक-10-2021-33(08)/2021, दिनांक 26.07.2021 द्वारा कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव में लगे कार्मिकों की कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रू० 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

2- उक्त शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत आपके जनपद से राहत आयुक्त के पोर्टल पर ऑनलाइन फीडेड/अपलोडेड प्रस्तावों के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित मृतकों श्री इम्तियाज खान, श्री सत्येन्द्र वर्मा, श्री राकेश कुमार बरूआ एवं श्री दीपक सिंह राना की कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु के फलस्वरूप, उनके आश्रितों को रू० 50.00 लाख की एकमुश्त राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु रू० 2,00,00,000.00 (रूपये दो करोड़ मात्र) निम्नलिखित विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कॉलम-7 में अंकित धनराशि जिलाधिकारी, लखनऊ के निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

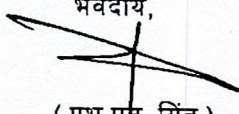
(धनराशि लाख रूपये में)

क्र० सं०	जनपद, आवेदन संख्या, कोविड ट्रैक पोर्टल नं०	नाम, लिंग, पिता, तहसील, शहरी क्षेत्र का नाम	पता	विभाग, पद, संपर्क नम्बर, मृत्यु की तिथि	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि	स्वीकृत कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	जनपद: Lucknow, आवेदन संख्या: REG00001224, कोविड ट्रैक पोर्टल नं०: GZRN0031162395	नाम: Imtiyaz Khan, लिंग: Male, पिता: Abid Husain Khan, तहसील: Lucknow, शहरी क्षेत्र का नाम :-Lucknow,	Village- Mahend, District- Ghazipur. U.P.	विभाग: पुलिस विभाग, पद: Deputy Inspector, संपर्क नंबर:9450864504, मृत्यु की तिथि: 03/05/2021,	50.00	200.00
2	जनपद: Lucknow, आवेदन संख्या: REG00001241, कोविड ट्रैक पोर्टल नं०: LUCN0029179996	नाम: Satendra Verma, लिंग: Male, पिता: Dev Prakash Verma, तहसील: Lucknow, शहरी क्षेत्र का नाम :-Lucknow,	2/66, Viram Khand Gomati Nagar Lucknow. 226010	विभाग: परिवहन विभाग, पद: Senior Accountant, संपर्क नंबर:9473639260, मृत्यु की तिथि: 20/04/2021,	50.00	
3	जनपद: Lucknow, आवेदन संख्या: REG00001242, कोविड ट्रैक पोर्टल नं०: LUCN0037814150	नाम: Rakesh Kumar Barua, लिंग: Male, पिता: Surendra Kumar, तहसील: Lucknow, शहरी क्षेत्र का नाम :-Lucknow,	C/O Rakesh Kumar Barua 509K/9A Sneh Nagar Alambagh Lucknow. 226005	विभाग: परिवहन विभाग, पद: Regular Driver, संपर्क नंबर:7275474089, मृत्यु की तिथि: 09/04/2021,	50.00	
4	जनपद: Lucknow, आवेदन संख्या: REG00001294, कोविड ट्रैक पोर्टल नं०: LUCN0040486905	नाम: DEEPAK SINGH RANA, लिंग: Male, पिता: SHANKAR SINGHRANA, तहसील: Lucknow, शहरी क्षेत्र का नाम :-Lucknow,	28 24 PAC CANTT ROAD MORADABAD 244001	विभाग: अन्य, पद: नायक 30036, संपर्क नंबर: 9410010538, मृत्यु की तिथि: 08/06/2021,	50.00	

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (2) राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-249/एक-11-2020-04(जी)/2015 टी.सी. दिनांक 11.04.2020, शासनादेश संख्या-411/एक-11-2021-4(जी)/2015 टी0सी0 दिनांक 22 जून, 2021 एवं राजस्व अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-1394/एक-10-2021-33(08)/2021, दिनांक 26.07.2021 में निहित प्राविधानों/शर्तों के आलोक में जिलाधिकारी प्रत्येक प्रकरण का स्वयं सम्यक परीक्षण कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्मिक की ड्यूटी कोविड-19 की रोकथाम, वचाव अथवा उपचार में लगायी गयी थी एवं कोविड के संक्रमण से ही उसकी मृत्यु हुयी है। जिलाधिकारी पूर्ण संतुष्ट होने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्मिक के आश्रितों को अहेतुक सहायता धनराशि की स्वीकृति करेंगे।
- (3) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी, अपितु आपदा से प्रभावि व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने की शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- (4) उक्त स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (5) स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई वचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2023 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाय।
- (6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 2,000,00,000/- (रूपये दो करोड़ मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 एवं वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022 से प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

 (प्रभु एन. सिंह)
 सचिव।

संख्या- (1)/एक-10-2023-33(06)/2020, तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 5- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

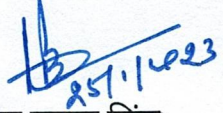
वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-25/01/2023

प्रेषण संख्या:- 97
आवंटन आदेश संख्या:- 003-97
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 77000000	20000000 77000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	20000000 77000000	20000000 77000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सात करोड़ सत्तर लाख


(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।